हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान- एक नज़र

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए एक व्यापक योजना

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की पहुंच एवं गुणात्मक सुधार के सार्वभौमीकरण के लिए एक व्यापक योजना है। सर्व शिक्षा अभियान की ही तर्ज़ पर शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने की दिशा में यह एक राष्ट्रव्यापी योजना है। सर्व शिक्षा अभियान 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आठवीं कक्षा तक गुणवत्तापरक शिक्षा को सुनिश्चित करता है जबकि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14–18 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करता है। अतः एक प्रकार से यह सर्व शिक्षा अभियान का ही विस्तार है।

विज़न :

माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य 14–18 वर्ष आयुवर्ग के सभी छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा को उनकी पहुंच योग्य बनाने तथा उनके खर्च करने की क्षमता के भीतर शिक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त–

- किसी भी रिहाइश से उचित दूरी पर एक माध्यमिक पाठशाला की व्यवस्था करना। यह दूरी माध्यमिक पाठशाला के लिए 5 किलोमीटर तथा उच्च माध्यमिक पाठशाला के लिए 7–10 किलोमीटर होनी चाहिए।
- वर्ष 2017 तक (100 प्रतिशत GER) माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
- वर्ष 2020 तक सभी को स्कूल में बने रहने की सुनिश्चितता तय करना।
- माध्यमिक स्कूलों तक विशेष रूप से समाज के आर्थिक, शैक्षिक रूप से पिछड़े, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही लड़कियों, अक्षम बच्चों तथा अन्य उपेक्षित वर्गों के बच्चों को पहुंच उपलब्ध करवाना।

लक्ष्य एवं उद्देश्यः

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के परिकल्पना प्रारूप में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। इस संबंध में मार्गदर्शक सिद्धानत निम्न है :

–सार्वभौमिक पहुंच

–समानता एवं सामाजिक न्याय

–पाठ्यचर्या एवं संरचनात्मक पहलुओं की तार्किकता एवं विकास।

सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा समानता की ओर कदम बढ़ाने का एक अवसर है। इससे 'कॉमन स्कूल' की अवधारणा बलवती होती है। स्कूल प्रणाली में यदि इस प्रकार के मूल्य स्थापित करने हों, तो सभी प्रकार के स्कूल जिनमें अनुदान प्राप्त न करने वाले निजी स्कूल भी शामिल हैं, माध्यमिक स्कूलों की सार्वभौमिकता में सहयोगी होंगे। क्योंकि ये स्कूल भी समाज के पिछड़े वर्गों एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के बच्चों का पर्याप्त संख्या में नामांकन सुनिश्चित कर सकते हैं।

मुख्य उद्देश्य :

- यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित मानकों के अनुरूप भौतिक सुविधाएं, स्टाफ एवं आपूर्ति उपलब्ध है।
- सभी बच्चों की उचित दायरे के भीतर माध्यमिक स्कूल तक पहुंच सुनिश्चित करना। माध्यमिक स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर के भीतर तथा उच्च प्राथमिक स्कूल की दूरी 7–10 किलोमिटर के भीतर सुनिश्चित करना।
- पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में इन नियमों में ढील दी जा सकती है। यहां आवासीय स्कूल स्थापित किए जा सकते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बच्चा लिंग, सामाजिक–आर्थिक, अक्षमता अथवा अन्य बाधाओं के कारण संतोषजनक गुणात्मक शिक्षा से वंचित न रहे।
- माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना ताकि बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिगम में वृद्धि हो सके।
- यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा पाने वाले सभी विद्यार्थी बेहतर गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करते रहे हैं।
- उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति से 'कॉमन स्कूल' प्रणाली की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति होगी।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान के समान ही एक स्वायत्त समिति के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। और विभिन्न जिलों में इसे संकुल स्रोत समन्वयकों के माध्यम से चलाया जाएगा। कार्यक्रम की पूर्व परियोजना गतिविधियों हेतु लगभग 3 करोड़ रुपये की योजना भारत सरकार को अनुमोदन के लिए भेजी गई है। इसके लिए आंकड़े एकत्र कर उनके विश्लेषण का कार्य किया जा चुका है।

अभियान के तहत निम्न पहलुओं पर विशेष बल दिया जाएगा :

गुणवत्ता :

- आवश्यकतानुसार स्कूलों में श्यामपट, फर्नीचर, पुस्तकालय, विज्ञान और गणित प्रयोगशाला, कम्प्यूटर लैब, शौचालय आदि की व्यवस्था।
- पर्याप्त अध्यापकों की नियुक्ति एवं अध्यापकों के लिए सेवारत प्रशिक्षण।
- कक्षा आठवीं पास कर चुके छात्रों की अधिगम क्षमता बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 (NCF 2005) के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम की समीक्षा करना।
- ग्रामीण एवं कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यरत अध्यापकों, विशेषकर महिला अध्यापिकाओं के लिए आवासीय सुविधा की व्यवस्था करना।

निष्पक्षता :

- अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निःशुल्क छात्रावास सुविधा।
- बालिकाओं के लिए छात्रावास, आवासीय स्कूल, नकद प्रोत्साहन, वर्दी, पुस्तकें तथा पृथक शौचालय।
- माध्यमिक स्तर पर मेधावी/जरूरतमंद बच्चों के लिए छात्रवृद्धि प्रदान करना।
- भिन्न रूप से सक्षम सभी बच्चों के लिए सभी स्कूलों में समस्त आवश्यक सुविधाओं के लिए विशेष प्रयास करना।
- मुक्त एवं दूर शिक्षा संबंधी जरूरतों का विस्तार ताकि पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा से वंचित बच्चे लाभान्वित हो सकें।

संसाधन संस्थाओं का सशक्तीकरण :

- राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरीय शैक्षिक संस्थाओं को सशक्त बनाना।

नियोजन प्रक्रिया :

- जिला परियोजना समन्वयकों की नियुक्ति।
- जिला स्तर पर कोर समूहों का गठन।
- कोर समूहों की क्षमता निर्माण।
- सूचना एकत्रीकरण हेतु प्रारूप तैयार करना।
- प्रत्येक स्कूल हेतु पर्सपेक्टिव तथा वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना।

संस्थागत सुधार :

- स्कूल प्रबंधन में सुधार–स्कूली गतिविधियों में प्रबन्धन एवं उत्तरदायित्वों का विकेन्द्रीकरण कर कारगर बनाना।
- अध्यापक भर्ती, प्रशिक्षण एवं कॅरिअर उन्नति हेतु एक तर्कसंगत नीति अपनाना।
- फंड्स के त्वरित प्रवाह तथा उसकी पर्याप्त उपयोगिता के लिए वित्तीय प्रक्रिया को कारगर बनाना।

जिला स्तर पर प्रारंभिक गतिविधियां :

- प्राचार्य, अध्यापक एवं शिक्षा विभाग के कर्मियों का ओरिएंटेशन।
- आवश्यकतानुसार कार्यालय उपकरण।
- सामुदायिक सहभागिता।
- स्कूल स्तरीय योजना एवं स्कूल आधारित गतिविधियों हेतु प्रति स्कूल 1000 रुपये की राशि।
- बेस लाइन अध्ययन सामग्री इत्यादि का एक सेट।
- उपरोक्त सभी गतिविधियों के लिए जिलावार सीमा 25 लाख रुपये है।

स्रोतों के आवंटन की निर्भरता :

- राज्य सरकार द्वारा उठाए गए प्रारंभिक कदमों पर।
- जिलों की योजनाएं तैयार करने पर।
- राज्य की हिस्सेदारी संबंधी राज्य सरकार की वचनबद्धता पर।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन की गुणवत्ता संबंधी निरीक्षण टीम की रिपोर्ट पर।
- एक वर्ष विशेष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर।

जिला योजना के लिये आवश्यक प्रमाण :

- स्कूल आधारित सांस्कृतिक/खेल गतिविधियां।
- प्रत्येक स्तर पर प्रक्रिया आधारित कमेटियों का गठन।
- विकेन्द्रीकृत निर्णय हेतु संस्थागत प्रबन्ध।
- अध्यापकों के साथ परामर्श।
- सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा हेतु सामुदायिक सहभागिता।
- सरकारी अनुदान की प्राप्ति एवं खर्च के लिए प्रत्येक स्कूल प्रबंधन एवं विकास समितियों के संयुक्त बैंक खाते।
- शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाने पर बल।

जिला योजनाओं की समीक्षा :

- कार्यकारी समिति तकनीकी अनुसमर्थन समूह के सहयोग से जिला योजना की समीक्षा करेगी।
- 6 माह में एक बार राष्ट्रीय/राज्य निरीक्षण दल राज्य/जिला का दौरा करेंगे।
- प्रति स्कूल प्रति वर्ष 1500 रुपये विभिन्न स्तरों पर प्रबंधन, मॉनीटरिंग, अनुसंधान, निरीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए उपलब्ध होंगे।
- 11वीं योजना में केन्द्र एवं राज्य की वित्तीय हिस्सेदारी 75:25 तथा 12वीं योजना में 50:50 की होगी।

कार्यान्वयन एवं मॉनीटरिंग :

- राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मिशन अथारिटी का गठन।
- प्रधान सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हेतु अलग से मिशन निदेशक।
- जिला स्तर पर अलग से जिला कार्यक्रम समन्वयक।
- जिला, खण्ड व पंचायती स्तर पर पंचायती राज संस्थाएं।

स्कूल प्रबन्धन एवं विकास समिति (10 सदस्यीय) :

- प्रधानाचार्य समिति अध्यक्ष
- उप प्रधानाचार्य सदस्य
- सामाजिक–विज्ञान अध्यापक, सदस्य
- विज्ञान अध्यापक, सदस्य
- गणित अध्यापक, सदस्य
- एक पुरुष अभिभावक, सदस्य
- एक महिला अभिभावक, सदस्य
- पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय के दो सदस्य
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति से एक सदस्य

स्कूल भवन समिति :

- पंचायत अथवा शहरी स्थानीय निकाय का एक सदस्य
- अभिभावकों से एक सदस्य
- एक सदस्य निर्माण कार्य विशेषज्ञ (कनिष्ठ अभियंता/परामर्शदाता)
- ऑडिट एवं अकाउंटस विभाग से एक सदस्य

शैक्षिक समिति :

- अभिभावकों में से एक सदस्य
- विज्ञान, गणित, कला, क्राफ्ट/संस्कृति/खेल आदि विशेषज्ञों से सदस्य
- प्रधानाचार्य द्वारा चयनित एक छात्र

सतत् समग्र मूल्यांकन क्या और क्यों?

मूल्यांकन, छात्र की प्रगति के आंकड़ों को एकत्रित करने, विश्लेषित करने व समझने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिससे अधिगम के संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक पहलुओं पर विभिन्न निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अतः मूल्यांकन सूचना एकत्र करने व निर्णय लेने की प्रक्रिया है।

स्कूलों में अभी तक किया जा रहा मूल्यांकन बच्चों के संज्ञानात्मक पक्ष पर ही आधारित रहता था जबकि सह–संज्ञानात्मक पक्ष पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाता था जिससे बच्चे की क्षमताओं का वास्तविक मापन नहीं हो पाता। वार्षिक परीक्षाएं भी वर्षभर में बच्चे द्वारा पढ़ी गई चयनित विषयवस्तु पर ही आधारित होती थी। परीक्षा परिणाम अंकों के आधार पर दिया जाना परीक्षा प्रणाली की एक बड़ी खामी रही है क्योंकि बच्चों को दिए गए अंक परीक्षक की सोच पर निर्भर रहते हैं।

यह बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अध्यापक परीक्षा के अनुरूप ही अध्यापन कार्य को अंजाम देते हैं। जो विषय/विषयवस्तु आमतौर पर परीक्षा का हिस्सा नहीं बनते, उन्हें पढ़ाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि यह ज्ञान भी बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है और उनके सर्वांगीण विकास में सहायक हो सकता है।

बच्चे मानसिक तनाव का शिकार न हों और उनमें परीक्षा के प्रति भय न रहे इसके लिए जरूरी है कि उनका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाए ताकि वे अपनी पाठ्य वस्तु को सहजता के साथ समझ सकें और वह अपने मानस पटल पर बिना किसी मानसिक तनाव के उसका स्मरण कर सकें। इसी प्रयास के चलते प्रदेश की प्राथमिक पाठशालाओं में बच्चों के सतत् समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है।

सतत् समग्र मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं :

- बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में सहायक क्योंकि यह मूल्यांकन मानवीय मूल्यों पर आधारित है।
- यह मूल्यांकन उसी अध्यापक द्वारा किया जाता है जो बच्चे को पढ़ा रहा हो अतः वह बच्चों के सभी गुणों से अवगत होता है।
- इससे बच्चों की उपलब्धि का विश्वसनीय एवं वैध मापन होता है।
- वह बच्चे के हर क्षेत्र में अधिगम स्तर को दर्शाता है और बच्चों की क्षमता को विकसित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।
- यह मूल्यांकन अध्यापन प्रक्रिया का हिस्सा होने के कारण निरन्तर होता रहेगा।
- सतत् समग्र मूल्यांकन में बच्चे के पूर्व अनुभवों एवं पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाता है।
- विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि उनके लिए मैत्रीपूर्ण हों।
- मूल्यांकन के लिए पारदर्शी विधियों को अपनाया जाता है ताकि जनमानस का विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- मूल्यांकन प्रणाली के प्रबन्धन हेतु आधुनिक तकनीक पर बल दिया जाता है।

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां

शिक्षा खण्ड धुन्दन–सोलन

जिला सोलन के सात शिक्षा खण्डों में से एक खण्ड है धुन्दन, जो जिला मुख्यालय से लगभग 75 किलोमीटर दूर सोलन–बिलासपुर राज्य मार्ग पर प्रसिद्ध बाड़ीधार के आंचल में स्थित है। इस खण्ड की सीमाएं एक तरफ जिला बिलासपुर, मण्डी, शिमला और दूसरी तरफ जिला सोलन के शिक्षा खण्ड अर्की व नालागढ़ के साथ लगती है। इस खण्ड में बाड़ीधार, कटफोड़, देवता बाड़ूबाड़ा और धुन्देश्वर मठ् धुन्दन प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं। इस खण्ड में दो बड़े औद्योगिक घरानों ने दो बड़े सीमेंट कारखाने दाड़लाघाट में सीमेंट अम्बूजा व बागा (मांगल) में जे. पी. स्थापित किए हैं। इसी के साथ राष्ट्रीय जल उर्जा परियोजना द्वारा स्थापित प्रसिद्ध कोल बांध परियोजना भी इसी खण्ड में है।

इस खण्ड में 120 पाठशालाएं हैं जिनमें 85 प्राथमिक पाठशालाएं 16 संकुल स्त्रोत समन्वयक केन्द्रों द्वारा सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 17 माध्यमिक, 12 उच्च व 6 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं और 18 निजी पाठशालाएं व एक निजी बी.एड. कॉलेज भी है। इस खण्ड में सरकारी पाठशालाओं में 6375 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनकी पढ़ाई का जिम्मा 181 प्राथमिक व 186 एलिमेंटरी शिक्षकों पर निर्भर है।

वर्ष 2002– 03 से जब से सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ, तब से 10 प्राथमिक पाठशालाओं को स्तरोन्त करके माध्यमिक का दर्जा दिया गया है एवं वर्ष 2007–08 में 2 नई प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई हैं।

शुरू में पाठशालाओं में अतिरिक्त कमरों की कमी थी, जिसे वर्ष 2002–03 से वर्ष 2008–09 तक 98 नए कमरे स्वीकृत करवा कर इस समस्या से निजात पाई जा चुकी है। अब तक इस खण्ड में 83 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 68 शौचालय, 28 पेयजल, 24 चारदीवारी, 8 संकुल स्रोत केन्द्र, 20 पाक शालाएं तथा 25 स्कूलों में बाला फीचर्ज़ डाले जा चुके हैं।

नई स्तरोन्नत पाठशालाओं में शिक्षण अधिगम उपकरणों को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे वर्तमान में किसी भी पाठशाला में शिक्षण अधिगम उपकरणों की कमी नहीं है। शत प्रतिशत पाठशालाओं में शौचालय, अक्षम बच्चों के लिए बाधा–रहित वातावरण और जल व्यवस्था उपलब्ध है। सितम्बर, 2004 से सभी प्राथमिक पाठशालाओं व जुलाई, 2008 में दोपहर का पका पकाया संतुलित भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। दोपहर भोजन की सबसे बड़ी उपलब्धि देखने में यह आई कि जबसे बच्चों को समयबद्ध भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को बेहोशी, चक्कर आना आदि बीमारियों से निजात मिल गई है।

> **नई स्तरोन्नत पाठशालाओं में शिक्षण अधिगम उपकरणों को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्र में धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे वर्तमान में किसी भी पाठशाला में शिक्षण अधिगम उपकरणों की कमी नहीं है।,शत प्रतिशत पाठशालाओं में शौचालय, अक्षम बच्चों के लिए बाधा-रहित वातावरण और जल व्यवस्था उपलब्ध है।**

शिक्षा खण्ड धुन्दन में वर्ष 2004 से एक ही प्रश्न–पत्र एवं समय–सारिणी के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस प्रयास का अध्यापकों ने तो समर्थन किया ही है अपितु अभिभावकों ने भी इसकी भूरी–भूरी प्रशंसा की है।

खण्ड के अधीन एक गैर सरकारी संस्था (अम्बूजा सीमेंट फांउडेशन) शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा विभाग के साथ काम कर रही है, जिसने 16 प्राथमिक व 8 माध्यमिक पाठशालाओं को गोद लिया है जिनमें यह संस्था मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ–साथ "शिक्षा की गुणवत्ता" विषय पर पिछले चार वर्षों से कार्य कर रही है।

25 गम्भीर रूप से विकलांग बच्चों को भुज विश्वविद्यालय भोपाल से प्रशिक्षित चार अध्यापक घर पर आधारित शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न कैम्पों का आयोजन करके इन बच्चों के प्रमाण–पत्र बनवाए गए हैं और इनकी विकलांगता और आवश्यकताओं के अनुसार उपकरण प्रदान करवाए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक एवं कल्याण अधिकारिता मन्त्रालय द्वारा प्रदत विभिन्न छात्रवृत्तिया एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए खेल एवं सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया जाता है। उनके लिए विशेष शिविर लगाकर उन्हें आवश्यकतानुसार चश्मे व अन्य उपकरण दिए जाते हैं आवासीय व्यावसायिक शिविर भी इन विशेष बच्चों के लिए आयोजित किए जाते हैं। बच्चों को हर संभव सहयोग के लिए गैर सरकारी संस्था अंबूजा फाउंडेशन से भी समन्वय स्थापित किया जाता है।

> **सभी विद्यालयों में ग्रामीण शिक्षा पंजिकाएं बनवाई गई हैं, जिसमें 0–14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन अनिवार्य किया गया है ताकि स्कूल से बाहर बच्चों पर पैनी नजर रखी जा सके**

सभी विद्यालयों में ग्रामीण शिक्षा पंजिकाएं बनवाई गई हैं, जिसमें 0–14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन अनिवार्य किया गया है ताकि स्कूल से बाहर बच्चों पर पैनी नजर रखी जा सके और सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जा सके। बालिकाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। 6 स्कूलों में योग शिक्षा तथा एक स्कूल में कराटे प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है।

बालिकाओं के लिए शैक्षिक भ्रमण का आयोजन किया जाता है। सभी संकुल स्कूलों में पुस्तकालयों की व्यवस्था की गई है तथा उच्च प्राथमिक पाठशाला में जीवन कौशल शिक्षा शुरू की गई है। इस तरह से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निहित सभी कार्यक्रमों को खण्ड में व्यापक रूप से कार्यरूप दिया जा रहा है और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

धर्मपाल शुक्ला
बीआरसी, (उ.प्रा.), धुन्दन

खण्ड स्रोत समन्वयकों से...

आगामी अंकों में प्रदेश के विभिन्न जिलों में खण्ड स्तर पर 'सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां' शीर्षक से यह कालम प्रकाशित किया जाएगा जिसकी हर कड़ी में एक नया शिक्षा खण्ड शामिल होगा। खण्ड स्रोत समन्वयक अपने खण्ड की विभिन्न गतिविधियों एवं उपलब्धियों को फोटो सहित हमारे पते पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों से भी प्रारंभिक शिक्षा संबधी विभिन्न लेख/रचनाएं इस पृष्ठ हेतु निम्न पते पर आमंत्रित हैं।

राजेश शर्मा
राज्य परियोजना निदेशक,
राज्य परियोजना कार्यालय (सर्व शिक्षा अभियान),
डी.पी.ई.पी.भवन, लाल पानी, शिमला–171001
दूरभाष : 2658668, फैक्स : 2808624

प्रस्तुति : **ज्योति रावत**